

सचिका सं०-७/बजट-४६-१७/२०२३ - ११८ (७A)
बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभू शरण, भा०प्र०से०
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक-११ / ०६ / २०२६

विषय:- मधुबनी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल के परिसर में प्रस्तावित ए०एन०एम० स्कूल तथा छात्रावास एवं आवास के निर्माण हेतु तैयार प्राक्कलन में कुल प्राक्कलित राशि रु० १४,६८,१६,०००/- (रुपये चौदह करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार) मात्र के स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में रु० १,६५,००,०००/- (एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-१०२(७), दिनांक-१५.०७.२०२४ द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल के परिसर में प्रस्तावित ए०एन०एम० स्कूल तथा छात्रावास एवं आवास के निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन के आधार पर राशि रु० १४,६८,१६,०००/- (रुपये चौदह करोड़ अड़सठ लाख सोलह हजार) मात्र के स्कीम (योजना) की प्रशासनिक स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष २०२६-२७ में रु० १,६५,००,०००/- (एक करोड़ पैंसठ लाख रुपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

२- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	व्ययादेश/आवटनादेश सं० एवं दिनांक
१	२०२४-२५	१,५०,००,०००	सं०-१०२(७), दिनांक-१५.०७.२०२४
	कुल-	१,५०,००,०००	

३- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-१०२(७), दिनांक-१५.०७.२०२४ में निहित शर्तों के अधीन किया जायेगा।

४- यह कार्य मांग संख्या-२०, मुख्य शीर्ष-४२१०-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-०३-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-१०५-एलोपैथी-०११२-ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल, विपत्र कोड-२०-४२१००३१०५०११२ अन्तर्गत विषय शीर्ष ५३-०१-मुख्य निर्माण कार्य मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

५- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ होंगे।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0-PBBPL-A007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेगे।

7- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे।

8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि०(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि०(2), दिनांक-27.11.2007, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 तथा अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

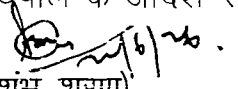
10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

11- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स०स०-7/बजट-46-17/2023 के पृष्ठ-12/टि० पर प्राप्त है।

12- यह स्वीकृत्यादेश है, आवटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

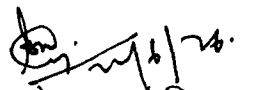

(शंभु शरण)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापक:-7/बजट-46-17/2023- 218(7A) स्वा०, पटना, दिनांक-22/06/2026

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/अवर सचिव- सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
24